

कार्यालय महालेखाकार(ले० एवं ह०), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज


संख्या- ले.एवं.ह./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/1394 दिनांक 17.04.2026

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.11.2025 को आयोजित कार्यशाला में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालय आदेश संख्या ए.ई./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/1348 दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से श्री विकास सिंह तोमर, प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रेड -2, व्यक्तिगत संख्या 1282 की दिनांक 21.11.2025 की अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित किया गया था।

अब, श्री विकास सिंह तोमर के अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत महालेखाकार महोदय ने, श्री तोमर द्वारा कारित पहली त्रुटि के दृष्टिगत, एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये उक्त अकार्य दिवस के आदेश को निरस्त कर दिया है। अतः तदनुसार श्री विकास सिंह तोमर, प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रेड -2 को दिनांक 21.11.2025 के कार्य दिवस हेतु वेतन एवं भत्ते देय है।

अग्रेतर, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा /अनदेखी किया जाना केंद्रीय सिविल सेवाये (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों को आकृष्ट करता है। अतः महालेखाकार महोदय के निर्देशानुसार श्री विकास सिंह तोमर, प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रेड -2 को एतद्वारा सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति को गंभीरता से लिया जाएगा तथा तदनुसार अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाएगी।




वरिष्ठ उप महालेखाकार /निर्माण

संख्या- ले.एवं.ह./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/09-12 दिनांक 17.04.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री विकास सिंह तोमर, प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रेड -2, व्यक्तिगत संख्या-1282, को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।
2. अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग खंड बाँदा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रविष्टि श्री विकास सिंह तोमर, प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रेड -2 की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करे तथा श्री विकास सिंह तोमर को दिनांक 21.11.2025 के वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने का कष्ट करें।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी /नि० वि-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी /आई०टी०सी०जी०, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि-1

कार्यालय महालेखाकार(ले० एवं ह०), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज


संख्या- ले.एवं.ह./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/ 1395 दिनांक 17.04.2025

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.11.2025 को आयोजित कार्यशाला में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालय आदेश संख्या ए.ई./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/1349 दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से श्री भुवनेश कुमार यादव, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या 1603 की दिनांक 21.11.2025 की अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित किया गया था।

अब, श्री भुवनेश कुमार यादव के अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत महालेखाकार महोदय ने, श्री यादव द्वारा कारित पहली त्रुटि के दृष्टिगत, एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये उक्त अकार्य दिवस के आदेश को निरस्त कर दिया है। अतः तदनुसार श्री भुवनेश कुमार यादव, प्रभागीय लेखाकार को दिनांक 21.11.2025 के कार्य दिवस हेतु वेतन एवं भत्ते देय है।


अग्रेतर, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा /अनदेखी किया जाना गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है तथा यह कृत्य केंद्रीय सिविल सेवाये (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों को आकृष्ट करता है। अतः महालेखाकार महोदय के निर्देशानुसार श्री भुवनेश कुमार यादव, प्रभागीय लेखाकार को एतद्वारा सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति को गंभीरता से लिया जाएगा तथा तदनुसार अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाएगी।


वरिष्ठ उप महालेखाकार /निर्माण

संख्या- ले.एवं.ह./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/13-16 दिनांक/7.04.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री भुवनेश कुमार यादव, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या-1603, को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।
2. अधिशाषी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक खंड, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रविष्टि श्री भुवनेश कुमार यादव, प्रभागीय लेखाकार की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करे तथा श्री भुवनेश कुमार यादव को दिनांक 21.11.2025 के वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने का कष्ट करें।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी /नि० वि-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी /आई०टी०सी०जी०, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि-1

कार्यालय महालेखाकार(ले०एवं ह०), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या- ले.एवं.ह./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/1396 दिनांक/7.04.2026

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.11.2025 को आयोजित कार्यशाला में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालय आदेश संख्या ए.ई./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/1350 दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से श्री फिरोज खान बाबर, प्रभागीय लेखाकार व्यक्तिगत संख्या 1608 की दिनांक 21.11.2025 की अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित किया गया था।

अब, श्री फिरोज खान बाबर के अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत महालेखाकार महोदय ने, श्री बाबर द्वारा कारित पहली त्रुटि के दृष्टिगत, एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये उक्त अकार्य दिवस के आदेश को निरस्त कर दिया है। अतः तदनुसार श्री फिरोज खान बाबर, प्रभागीय लेखाकार को दिनांक 21.11.2025 के कार्य दिवस हेतु वेतन एवं भत्ते देय है।


अग्रेतर, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा /अनदेखी किया जाना केंद्रीय सिविल सेवाये (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों को आकृष्ट करता है। अतः महालेखाकार महोदय के निर्देशानुसार श्री फिरोज खान बाबर, प्रभागीय लेखाकार को एतद्वारा सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति को गंभीरता से लिया जाएगा तथा तदनुसार अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाएगी।


वरिष्ठ उप महालेखाकार /निर्माण

संख्या- ले.एवं.ह./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/17- 20 दिनांक/7.04.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री फिरोज खान बाबर, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या-1608, को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।
2. अधिशाषी अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लखीमपुर खीरी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रविष्टि श्री फिरोज खान बाबर, प्रभागीय लेखाकार की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करे तथा श्री फिरोज खान बाबर को दिनांक 21.11.2025 के वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने का कष्ट करें।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी /नि० वि-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी /आई०टी०सी०जी०, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि-1

कार्यालय महालेखाकार(ले० एवं ह०), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज


संख्या- ले.एवं.ह./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/1397 दिनांक 17.04.2026

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.11.2025 को आयोजित कार्यशाला में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालय आदेश संख्या ए.ई./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/1351 दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से सुश्री सुनीता कुमारी, प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रेड -2, व्यक्तिगत संख्या 1146 की दिनांक 21.11.2025 की अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित किया गया था।

अब, सुश्री सुनीता कुमारी के अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत महालेखाकार महोदय ने, सुश्री सुनीता कुमारी द्वारा कारित पहली त्रुटि के दृष्टिगत, एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये उक्त अकार्य दिवस के आदेश को निरस्त कर दिया है। अतः तदनुसार सुश्री सुनीता कुमारी, प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रेड -2 को दिनांक 21.11.2025 के कार्य दिवस हेतु वेतन एवं भत्ते देय है।

अग्रेतर, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा /अनदेखी किया जाना गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है तथा यह कृत्य केंद्रीय सिविल सेवाये (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों को आकृष्ट करता है। अतः महालेखाकार महोदय के निर्देशानुसार सुश्री सुनीता कुमारी, प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रेड -2 को एतद्वारा सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति को गंभीरता से लिया जाएगा तथा तदनुसार अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाएगी।




वरिष्ठ उप महालेखाकार /निर्माण

संख्या- ले.एवं.ह./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/21-24 दिनांक 17.04.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सुश्री सुनीता कुमारी, प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रेड -2, व्यक्तिगत संख्या-1146, को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।
2. अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग खंड, गौतम बुद्ध नगर, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रविष्टि सुश्री सुनीता कुमारी, प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रेड -2 की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करे तथा सुश्री सुनीता कुमारी को दिनांक 21.11.2025 के वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने का कष्ट करें।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी /नि० वि-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी /आई०टी०सी०जी०, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि-1

कार्यालय महालेखाकार(ले०एवं ह०), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज


संख्या- ले.एवं.ह./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/1398 दिनांक/17.04.2026

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.11.2025 को आयोजित कार्यशाला में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालय आदेश संख्या ए.ई./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/1352 दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से श्री अर्पित शुक्ला, प्रभागीय लेखाकार व्यक्तिगत संख्या 1554 की दिनांक 21.11.2025 की अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित किया गया था।

अब, श्री अर्पित शुक्ला के अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत महालेखाकार महोदय ने, श्री शुक्ला द्वारा कारित पहली त्रुटि के दृष्टिगत, एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये उक्त अकार्य दिवस के आदेश को निरस्त कर दिया है। अतः तदनुसार श्री अर्पित शुक्ला, प्रभागीय लेखाकार को दिनांक 21.11.2025 के कार्य दिवस हेतु वेतन एवं भत्ते देय है।

अग्रेतर, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा /अनदेखी किया जाना केंद्रीय सिविल सेवाये (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों को आकृष्ट करता है। अतः महालेखाकार महोदय के निर्देशानुसार श्री अर्पित शुक्ला, प्रभागीय लेखाकार को एतद्वारा सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति को गंभीरता से लिया जाएगा तथा तदनुसार अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाएगी।


वरिष्ठ उप महालेखाकार /निर्माण

संख्या- ले.एवं.ह./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/25-28 दिनांक/17.04.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री अर्पित शुक्ला, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या-1554, को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।
2. अधिशाषी अभियंता, नलकूप खंड-2, सीतापुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रविष्टि श्री अर्पित शुक्ला, प्रभागीय लेखाकार की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करे तथा श्री अर्पित शुक्ला को दिनांक 21.11.2025 के वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने का कष्ट करें।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी /नि० वि-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी /आई०टी०सी०जी०, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि-1

कार्यालय महालेखाकार(ले०एवं ह०), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज


संख्या- ले.एवं.ह./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/ 1399 दिनांक/7.04.2025

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.11.2025 को आयोजित कार्यशाला में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालय आदेश संख्या ए.ई./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/1354 दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से श्री राहुल कुमार, प्रभागीय लेखाकार व्यक्तिगत संख्या 1701 की दिनांक 21.11.2025 की अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित किया गया था।

अब, श्री राहुल कुमार के अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत महालेखाकार महोदय ने, श्री कुमार द्वारा कारित पहली त्रुटि के दृष्टिगत, एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये उक्त अकार्य दिवस के आदेश को निरस्त कर दिया है। अतः तदनुसार श्री राहुल कुमार, प्रभागीय लेखाकार को दिनांक 21.11.2025 के कार्य दिवस हेतु वेतन एवं भत्ते देय है।

अग्रेतर, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा /अनदेखी किया जाना गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है तथा यह कृत्य केंद्रीय सिविल सेवाये (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों को आकृष्ट करता है। अतः महालेखाकार महोदय के निर्देशानुसार श्री राहुल कुमार, प्रभागीय लेखाकार को एतद्वारा सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति को गंभीरता से लिया जाएगा तथा तदनुसार अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाएगी।



वरिष्ठ उप महालेखाकार /निर्माण

संख्या- ले.एवं.ह./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/ 29-32 दिनांक/7.04.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री राहुल कुमार, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या-1701, को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।
2. अधिशाषी अभियंता, लघु सिचाई खंड, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रविष्टि श्री राहुल कुमार, प्रभागीय लेखाकार की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करे तथा श्री राहुल कुमार को दिनांक 21.11.2025 के वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने का कष्ट करें।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी /नि० वि-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी /आई०टी०सी०जी०, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि-1